संख्या–511 / अडतीस–7–2020–12एलसी / 2014टीसी

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7 लखनऊ दिनाँक 05 मई, 2020

विषयः महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत कार्यरत ग्राम रोजगार सेवकों के मानदेय भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर आयुक्त(मनरेगा) के पत्रांक–मनरेगा सेल / पत्रा0 सं0–08(1) / 699 / 2020, दिनांक 04–05–2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1482 / 38–7–2016 –12एलसी / 2014टीसी, दिनांक 19–10–2016 द्वारा ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय दिनांक 19–10–2016 से रू0 6000 / – प्रतिमाह की दर से निर्धारित है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया इस संदर्भित शासनादेश के अनुक्रम में ग्राम रोजगार सेवकों के मानदेय का भुगतान रू0 6000 / – प्रतिमाह की दर से कराने का कष्ट करें।

3– उक्त के अतिरिक्त जहाँ तक आपके पत्रांक–मनरेगा / पत्रा0सं0–08(2) / 1445 / 2019, दिनांक 19–07–2019 का प्रश्न है, के संदर्भ में कम मानव दिवस सृजित करने वाले सम्बन्धित कार्मिकों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
Manoj 5.5.20
(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या–511(1) / अडतीस–7–2020तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर आयुक्त(मनरेगा), उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. अपर आयुक्त(मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक / मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त उपायुक्त, श्रम रोजगार / परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
6. गार्डबुक।

आज्ञा से,

(विजय बहादुर वर्मा)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग–7
संख्या–यूओ–21/अड़तीस–7–2020
लखनऊः दिनांकः 05 मई, 2020

संयुक्त आयुक्त(मनरेगा),
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृपया ग्राम्य विकास अनुभाग–7 के निम्नांकित पत्र की प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया पत्र का रीजियोग्राफ कराकर समस्त संबंधित को आज ही अपने स्तर से प्रेषित कराने का कष्ट करें:–

1–संख्या–511/अडतीस–7–2020–12एलसी/2014टीसी, दिनांकः 05–05–2020

संलग्नकः– यथोक्त।

(सुधाकर द्विवेदी)
अनुभाग अधिकारी।